डिस्कलेमर

आदेश संख्या 37/2022-23 के मुख पृष्ठ, प्राधिकरण के निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमवाईटीपी/डीसीएससी/सी/डेल्ही/सीपी-III/2021-26

AERA/20010/ MYTP/DCSC/C/DELHI/CP-III/2021-26

आदेश संख्या 37/2022-23

Order No. 37/2022-23

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

मैसर्स डेल्ही कार्गो सर्विस सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएस) के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

IN THE MATTER OF DETERMINATION OF TARIFF FOR CARGO HANDLING SERVICES FOR M/s DELHI CARGO SERVICE CENTER PVT. LTD. (DCSC) AT INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT, DELHI FOR THE THIRD CONTROL PERIOD (FY 2021-22 TO FY 2025-26)

जारी करने की तारीख : 06.01.2023

Date of Issue: 06.01.2023

ऐरा भवन /AERA Building

प्रशासनिक कॉम्पलेक्स / Administrative Complex

सफदरजंग हवाईअड्डा /Safdarjung Airport

नई दिल्ली /New Delhi – 110003

अध्याय 9 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

प्राधिकरण तीसरी नियंत्रण अवधि के वहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद और हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लेता है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय 2	**2.5.1**	डीसीएससी द्वारा आईजीआईए, दिल्ली में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं **'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी'** समझी जाती है। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए **"लाइट टच अप्रोच"** अपनाता है।	**15**
अध्याय 3	**3.6.1**	डीसीएससी के लिए आईजीआईए, दिल्ली के लिए तालिका 6 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो अनुमापी अनुमानों को मानना।	**26**
अध्याय 4.	**4.9.1**	तालिका 13 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी (कैपेक्स), मूल्यह्रास और औसत आरएबी के परिवर्धनों को मानना।	**46**
	4.9.2	तालिका 15 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिभूति जमा और प्रतिभूति जमा पर प्रतिलाभ को मानना।	
अध्याय 5.	**5.6.1**	तालिका 19 में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।	55
अध्याय 6.	**6.8.1**	प्राधिकरण इसके समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए खराब होने योग्य/औषधीय/विशेष/मूल्यवान/ खतरनाक कार्गो आदि सहित एएफएस से भिन्न कार्गो के लिए लागू सामान्य अनुमोदित टीएसपी प्रभारों की तुलना में एएफएस कार्गो के लिए 30% न्यूनतर टीएसपी प्रभार का प्रस्ताव करता है।	71
अध्याय 7	**7.6.1**	तालिका 27 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानना।	93
	7.6.2	वित्त वर्ष 2024-25 तक की तृतीय नियंत्रण अवधि के वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) की समीक्षा के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव को मानना।	
अध्याय 8	**8.5.1**	तालिका 30 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए राजस्व, ओपेक्स और लाभप्रदता को मानना।	97

अध्याय 10 : आदेश

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स डेल्ही कार्गो सर्विस सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएससी) द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली में प्रदान की जा रही कार्गो हैंडलिंग से संबंधित सेवाएं **"मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी"** समझी जाती है। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष (26-2025 वर्षसे वित्त 22-2021 के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए **'लाइट टच अप्रोच'** अपनाने का निर्णय लेता है।

(ii) मैसर्स डीसीएससी को **संलग्नक I** के अनुसार **16.01.2023 से 31.03.2025** तक की तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(iii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि वित्त वर्ष 2025-26 (टैरिफ वर्ष 5) के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव को अंतिम रूप डीसीएससी द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के प्रथम चार टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25) के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) के अनुसार वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद ही दिया जाएगा।

(iv) इसमें निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।।

(v) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में सभी लागू कर शामिल नहीं है।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री अविनाश राजदान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
डेल्ही कार्गो सर्विस सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्गो टर्मिनल 2, गेट संख्या 6, एयर कार्गो कॉमप्लेक्स,
आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली 110037-

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. श्री के. नारायण राव, निदेशक, डायल, न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल -3 के सामने, आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली -110037